[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

Ministry of Corporate Affairs
Notification

New Delhi, dated 05.07.2018

G.S.R. ___ (E). - In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Authorised to Register) Second Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force **with effect from 15th August 2018**.

2. In the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), after clause (g), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(h) "society" means a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) and includes a society registered under or deemed to be registered under any other law for the time being in force;

(i) "trust" means an irrevocable public charitable or religious trust registered under any law for the time being in force and represented by its trustees, in whom the trust property is vested, as members;

(j) "Registrar of Firms" means the Registrar appointed under section 57 of the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932);

(k) "Registrar of Trusts" includes a Charity Commissioner, an Inspector-General of Registration or such other authority having the duty of registering trusts in a State.".

3. In the said rules, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3 (1) For the purposes of sub-section (2) of section 366 of the Act, the provision of Chapter II of the Act relating to incorporation of company and matters incidental thereto shall be applicable *mutatis mutandis* for such registration:

Provided that there shall be two or more members for the purposes of registration of a company under this sub-rule:

Provided further that a company with less than seven members shall register as a private company.

(i) a list showing the names, addresses, and occupations of all persons named therein as partners with details of shares held by them respectively, showing separately shares allotted for consideration in cash and for consideration other than cash along-with the source of consideration and distinguishing, in cases where the shares are numbered, each share by its number, who on a day, not being more than six clear days before the day of seeking registration, were partners of the Limited Liability Partnership or firm as the case may be;

(ii) a list showing the particulars of persons proposed as the first directors of the company, alongwith Director Identification Number (DIN), passport number, if any, with expiry date, residential addresses and their interests in other firm or body corporate along with their consent to act as directors of the company;

(iii) in case of a firm, deed of partnership, bye-laws or other instrument constituting or regulating the firm and in case the deed of partnership was revised at any time in the past, copies of the principal and all subsequent deeds including the latest deed, along with the certificate of the registration issued by the Registrar of Firms, in case the firm is registered;

(iv) written consent or No Objection Certificate from all the secured creditors of the applicant;

(v) written consent, from the majority of members whether present in person or by proxy at a general meeting, agreeing for such registration;

(vi) an undertaking that the proposed directors shall comply with the requirements of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) as applicable;

(vii) a copy of the latest income tax return of the Limited Liability Partnership or firm, as the case may be.

(b) In case of an application by a Limited Liability Partnership or firm for registration as a company limited by guarantee or as an unlimited company-

(i) a list showing the names, addresses and occupations of all persons, who on a day, not being more than six clear days before the day of seeking registration, were partners of the Limited Liability Partnership or firm, as the case may be with proof of membership;

(ii) a list showing the particulars of persons proposed as the first directors of the company, alongwith DIN, passport number, if any, with expiry date, residential addresses and their interests in other firm or body corporate along with their consent to act as directors of the company;

(iii) in case of a firm, deed of partnership, bye laws or other instrument constituting or regulating the company and in case the deed of partnership was revised at any time in the past, copies of the principal and all subsequent deeds including the latest deed, along with the certificate of the registration issued by the Registrar of Firms, in case the firm is registered;

(iv) in the case of a company intended to be registered as a company limited by guarantee, a copy of the resolution declaring the amount of guarantee;

(v) written consent or No Objection Certificate from all the secured creditors of the applicant;

(vi) written consent from the majority of members whether present in person or by proxy at a general meeting agreeing for such registration;

(vii) an undertaking that the proposed directors shall comply with the requirements of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), as applicable;

(viii) a copy of the latest income tax return of the Limited Liability Partnership or firm, as the case may be.

(c) In case of an application by a society for registration as a company limited by guarantee under section 8-

(i) a list showing the names, addresses and occupations of all persons, who on a day, not being more than six clear days before the day of seeking registration, were members of the society with proof of membership;

(ii) a list showing the particulars of persons proposed as the first directors of the company, alongwith DIN, passport number, if any, with expiry date, residential addresses and their interests in other firms or bodies corporate along with their consent to act as directors of the company;

(iii) a list containing the names and addresses of the members of the governing body of the society;

(iv) a certified copy of the certificate of registration of the society;

(v) written consent or No Objection Certificate from all the secured creditors of the applicant;

(vi) written consent from the majority of members whether present in person or by proxy at a general meeting agreeing for such registration, and the resolution shall also provide for declaration of the amount of guarantee;

(vii) an undertaking that the proposed directors shall comply with the requirements of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) as applicable;

(viii) a copy of the latest income tax return of the society;

(ix) details of the objects of the company alongwith a declaration from all the members that the restrictions and prohibitions as mentioned in clause (b) and clause (c) of sub-section (1) of section 8 of the Act shall be complied.

(d) In case of an application by a trust for registration as a company limited by guarantee under section 8-

(i) a list showing the names, addresses and occupations of all persons, who on a day, not being more than six clear days before the day of seeking registration, were trustees of the trust with proof thereof;

(ii) a list showing the particulars of persons proposed as the first directors of the company, alongwith DIN, passport number, if any, with expiry date, residential addresses and their interests in other firm or body corporate along with their consent to act as directors of the company;

(iii) a certified copy of the certificate of registration of the trust and the trust deed;

(iv) written consent or No Objection Certificate from all the secured creditors of the applicant;

(v) written consent from the majority of members whether present in person or by proxy at a general meeting agreeing for such registration, and the resolution shall also provide for declaration of the amount of guarantee;

(vi) an undertaking that the proposed directors shall comply with the requirements of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) as applicable;

(vii) a copy of the latest income tax return of the trust;

(viii) details of the objects of the company alongwith a declaration from all the members that the restrictions and prohibitions as mentioned in clause (b) and clause (c) of sub-section (1) of section 8 of the Act shall be complied.

(3) Where an application is made by a society or trust for registration as a company limited by guarantee and it has been proved to the satisfaction of the Registrar that the proposed company has its objects in accordance with clause (a) of sub-section (1) of section 8 of the Act and it intends to comply with the restrictions and prohibitions as mentioned respectively in clause (b) and clause (c) of that sub-section, the Registrar shall issue a license in Form No. INC. 16 to allow such society or trust to be registered as a limited company without the addition to its name of the word "Limited", or as the case may be, the words "Private Limited" and thereupon issue a certificate of incorporation in terms of sub-rule (4) of rule 4 on an application submitted under Chapter II of the Act for incorporation of a company:

Provided further that a society which has not filed the annual or other returns, statutorily required to be filed with the Registrar of Societies, shall not be eligible to apply for registration under section 366 of the Act.

(4) An undertaking from all the members or partners or trustees providing that in the event of registration as a company under Part I of Chapter XXI of the Act, necessary documents or papers shall be submitted to the registering or other authority with which the company was earlier registered, for its dissolution:

Provided that no such undertaking shall be required to be submitted in case the application for registration under Part I of Chapter XXI of the Act has been made by a Limited Liability Partnership registered under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009).

(5) The list of members and directors and any other particulars relating to the company which are required to be delivered to the Registrar shall be duly verified by the declaration of any two or more proposed directors.".

4. (i) In the said rules, in rule 4,-

(a) in sub-rule (1), for the words "Limited Liability Partnership or the firm as the case may be is situate" the words "Limited Liability Partnership, firm, society or trust, as the case may be, is situated" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), after the words, brackets and letters "Registrar (LLP)", the words "Registrar of Firms, Registrar of Societies or Registrar of Trust, as the case may be", shall be inserted.

5. In the said rules, in rule 5,

(a) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) where a firm, society or trust has obtained a certificate of registration under section 367 of the Act, an intimation to this effect shall be given within fifteen days of such registration to the concerned Registrar of Firms, Registrar of Societies or Registrar of Trusts, as the case may be, under which it was originally registered, along with documents for its dissolution as a firm, society or trust as the case may be;

(b) in clause (iii), after the words "Registrar of Firms", at both the places, where they occur, the words, "Registrar of Societies or Registrar of Trusts, as the case may be" shall be inserted;

(c) in clause (v), for the words "Limited Liability Partnership or the firm", the words "Limited Liability Partnership, firm, society or trust" shall be substituted;

(d) after clause (v), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(vi) in case a society or trust intending to register as a company under section 366 of the Act is registered under section 12A of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) for claiming exemption on its income, an intimation in this regard shall be sent to the Income- tax authorities and proof of its service shall be attached with Form No. URC. 1;.

(vii) upon registration of a society or trust as a company under the Act, no application for conversion into a company of any other kind, except conversion from a private company to a public company or vice-versa, shall be made till the expiry of a period of ten years from the date of incorporation under the Act.

(viii) no application for registration as a company under the Act shall be made by a trust during the pendency of any proceedings under section 92 of the Code of Civil Procedure (5 of 1908).".

6. In the said rules, for Form No.URC-1 and URC-2, the following forms shall be substituted, namely:-

FORM NO. URC-1

[Pursuant to rule 3(2) of the Companies Rules, 2014 read with section 366 of the Companies Act, 2013]

सत्यमेव जयते

Application by a company for registration under section 366

Form language ◉ English ○ Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

Pre-fill

1. (a) SRN of **RUN**

   (b) * Type of company

2. (a) *Type of existing entity

   (b) LLPIN// Registration Number — Pre-fill

   (c) * Name of the existing entity

   (d) * Address of the existing entity

   (e) *Email Id of the existing entity

   (f) * Number of members in the existing entity as on the date of application

   (e) Name of the proposed company

3. (a) Category of the proposed company

   (b) *Whether liability of the members of the company is limited by any Act of Parliament other than Companies Act ○ Yes ○ No

4. (a) *Date of instrument constituting the existing entity (DD/MM/YYYY)

   (b)* Description of the instrument

5. (a) Number of shares taken up to date

   Equity

   Preference

   (b) Amount paid on each share

   Equity

   Preference

6. (a) Date of passing resolution for declaring the amount of guarantee

(b) Particulars of guarantee taken up by each member

7. *Date of general meeting passing the resolution assenting to registration (DD/MM/YYYY)

with limited liability

8. *Particulars of passing special resolution and the place of general meeting

9. *Total amount of the property (whether movable or immovable including actionable claims)

10. *Whether any suit or legal proceedings taken by, or pending against the entity, or any

public officer or member thereof ○ Yes ○ No

If Yes, give brief details

11. (i) *Whether entity has any secured debt outstanding as on the date of application ○ Yes ○ No

(ii) *Mention the total outstanding amount

Attachments

List of attachments

1. *Particulars of members/partners along with the details of shares held by them; Attach
2. *Declaration of two or more directors verifying the particulars of all members/partners; Attach
3. *Affidavit from all the members/partners for dissolution of the entity; Attach
4. *Copy of the instrument constituting or regulating the entity; Attach
   Attach
5. Copy of certificate of registration of the entity, if any; Attach
6. *Copy of Newspaper advertisement;
7. *Certificate from a CA/CS/CWA certifying the compliance with all the provisions of Stamp Act, to the extent applicable;
8. Consent of majority of members; Attach

9. Consent of at least three-fourth of members agreeing for registration under this part;

10. No objection certificate from the concerned Registrar of Firms or Registrar of Companies(LLP);

11. No objection certificate/Consent given by secured creditors;

12. Statement of accounts of the existing entity, prepared not later than15 days preceding the date of application duly certified by auditor; if applicable

13. Copy of the resolution declaring the amount of guarantee;

14. *Undertaking by the proposed directors for compliance
with requirements of Indian Stamp Act, 1899.

15. *A copy of latest Income Tax Return of the firm

16. Declaration from all the members regarding compliance as per section 8(1)(b) and section 8(1)(c) of the Act and detailed objects of the company.

17. Optional attachment(s) (if any)

Attach

Remove Attachment

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Declaration

I * ____________________, a person named in the articles as a ____________________ declares that all the requirements of The Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I am authorized by other promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association and the first directors to give this declaration and to sign and submit this Form..It is further declared and verified that

1. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.
2. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

***To be digitally signed by**

* Designation ____________________ DSC BOX

* DIN/ DPIN or PAN of the director ____________________

Certificate by practicing professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder relevant to this form and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company/applicant which is subject matterof this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.

I further certfify that:

i. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;

ii. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

*To be digitally signed by DSC BOX

* ○ Chartered accountant (in whole-time practice) or ○ Cost accountant (in whole-time practice) or ○ Company secretary (in whole-time practice)

* Whether associate or fellow ○ Associate ○ Fellow

* Membership number ____________________

* Certificate of practice number ____________________

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

For office use only:

Affix filing details

eForm Service request number (SRN) | eForm filing date (DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This e-Form is hereby registered

Confirm submission

Date of signing (DD/MM/YYYY)

"FORM NO. URC-2

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Act

[Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014]

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at .... that .... a partnership firm /LLP/Co-operative Society/Society/Trust/a business entity(delete whichever is not applicable) may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares, or as a company limited by guarantee or as an unlimited company (delete whichever is not applicable).
2. The Principal objects of the company are as follows:-
   ....
   ....
   ....
3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at ....] [give the address here].
4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6,7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050, within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.

Dated this .... day of .... 20..........

Name(s) of Applicant
1...............................

2...............................".

[File No. 01/04/2016 CL V]

(K V R Murty)

Joint Secretary to the Government of India

Note: — The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 257(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended vide the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R.563 (E)	31st May, 2016
2.	G.S.R 173 (E)	16th February, 2018

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 05.07.2018

सा.का.नि. ______(अ)- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) दूसरा संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम 15 अगस्त, 2018 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उप नियम (1) में खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(छ) "सोसायटी" से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसायटी अभिप्रेत है और इसमें तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई सोसायटी सम्मिलित है;

(ज) "न्यास" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत अप्रतिसंहरणीय सार्वजनिक खैराती या धार्मिक न्यास अभिप्रेत है और जिसका प्रतिनिधित्व उसके ऐसे न्यासियों द्वारा किया जाता है जिनमें सदस्य के रूप में न्यास की संपत्ति निहित है;

(झ) "फर्मों का रजिस्ट्रार" से भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) की धारा 57 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार से अभिप्रेत है;

(ञ) "ट्रस्ट का रजिस्ट्रार" के अंतर्गत किसी राज्य में न्यास का रजिस्ट्रीकरण करने तक धर्मार्थ आयुक्त, रजिस्ट्रीकरण करने वाला महानिरीक्षक या ऐसा अन्य प्राधिकारी भी है।"।

3. उक्त नियमों के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"3(1) अधिनियम की धारा 366 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए कंपनी के निगमन और उसके अनुषंगिक विषयों से संबंधित अधिनियम के अध्याय-2 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए लागू होंगे :-

परंतु कि इस उप-नियम के अधीन किसी कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए दो या अधिक सदस्य होंगे :

परंतु यह और कि सात सदस्यों से कम वाली किसी कंपनी को प्राइवेट कंपनी के रूप में रजिस्टर किया जाएगा।

(2) कंपनी रजिस्ट्रार को निम्नलिखित रीति से अपेक्षित दस्तावेज़ों और सूचना के साथ प्ररूप संख्या यूआरसी 1 में सूचना उपलब्ध कराएगी, अर्थात् :-

परंतु कि इस उप-नियम के अधीन किसी कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए दो या अधिक सदस्य होंगे :

परंतु यह और कि सात सदस्यों से कम वाली किसी कंपनी को प्राइवेट कंपनी के रूप में रजिस्टर किया जाएगा।

(2) कंपनी रजिस्ट्रार को निम्नलिखित रीति से अपेक्षित दस्तावेज़ों और सूचना के साथ प्ररूप संख्या यूआरसी 1 में सूचना उपलब्ध कराएगी, अर्थात् :-

(क) सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी फर्म के मामले में-

(i) एक सूची जिसमें भागीदारों के रूप में नामित सभी ऐसे व्यक्तियों के नाम, पते और व्यवसाय तथा उनके द्वारा धारित शेयरों के विवरण, नकदी के रूप में और नकदी को छोड़कर अन्य रूप में आबंटित शेयरों का अलग-अलग विवरण और उसका स्रोत तथा यदि शेयरों को संख्यांकित किया गया हो तो, प्रत्येक शेयर को उसकी संख्या द्वारा अलग-अलग दर्शाया जाएगा, जो यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी या फर्म में किसी भी दिन भागीदार रहे हों और यह अवधि रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करने की तारीख से पहले अधिकतम छह कार्य दिवसों से अधिक न हो;

(ii) एक सूची जिसमें कंपनी के प्रथम निदेशक के रूप में प्रस्तावित व्यक्तियों के विवरण, निदेशक पहचान संख्या (डिन), पासपोर्ट संख्या, यदि हो, उसकी समाप्ति की तारीख, आवासिक पता, किसी अन्य फर्म या कारपोरेट निकाय में उनके हित के साथ साथ कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिये उनकी सहमति;

(iii) किसी फर्म की दशा में भागीदारी विलेख, उप विधियां या फर्म का गठन या विनियमन करने वाली किसी अन्य लिखत और यदि विगत में किसी समय भागीदारी विलेख संशोधित की गई हो, तो मूल और बाद में की गई सभी विलेखों और अद्यतन विलेख की प्रतियां तथा यदि फर्म रजिस्ट्रीकृत है तो फर्मों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र;

(iv) आवेदक के सभी प्रतिभूत लेनदारों से लिखित सहमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र;

(v) ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए सहमति देते हुए साधारण बैठक में स्वयं या परोक्षी द्वारा उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिखित सहमति;

(vi) ऐसा परिवचन कि प्रस्तावित निदेशक भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2), की यथा लागू की अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे;

(vii) यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी या फर्म के अद्यतन आयकर विवरणी की प्रति।

(ख) यदि सीमित दायित्व भागीदारी या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी या असीमित कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए फर्म द्वारा आवेदन किया गया हो –

(i) एक सूची जिसे उन सभी व्यक्तियों के नाम, पते और व्यवसाय दर्शाए गए हों जो किसी भी दिन, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी या फर्म के भागीदार रहे हों और यह अवधि रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करने की तारीख से अधिकतम छह कार्य दिवस से अधिक न हो, और सदस्यता का प्रमाण पत्र;

(ii) एक सूची जिसमें कंपनी के प्रथम निदेशक के रूप में प्रस्तावित व्यक्तियों के विवरण, निदेशक पहचान संख्या (डिन), पासपोर्ट संख्या, यदि हो, उसकी समाप्ति की तारीख, आवासिक पता, किसी अन्य फर्म या कारपोरेट निकाय में उनके हित के साथ साथ कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिये उनकी सहमति;

(iii) फर्म की दशा में, भागीदारी विलेख, उपविधि या अन्य लिखत जो कंपनी के गठन या विनियमन करता है और यदि भागीदारी विलेख को पूर्व में किसी समय संशोधित किया गया था, मूल और सभी प्रश्चातवर्ती विलेखों की प्रतियां जिसमें नवीनतम विलेख सम्मिलित हैं, के साथ रजिस्ट्रार फर्म के द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, यदि फर्म रजिस्ट्रीकृत है;

(iv) कंपनी की दशा में, यदि कंपनी गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत कराना चाहती है, संकल्प की प्रति जिसमें गारंटी की राशि की घोषणा हो;

(v) आवेदक के सभी प्रतिभूत लेनदारों की लिखित सहमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र;

(vi) साधारण बैठक में सदस्यों के बहुमत चाहे वे स्वयं उपस्थित हो या परोक्षी द्वारा जो ऐसे रजिस्ट्रीकरण से सहमत हो की, लिखित सहमति;

(vii) कि सभी प्रस्तावित निदेशक, यथा लागू, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे;

(viii) यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी या फर्म नवीनत आयकर विवरणी की प्रति;

(ग) धारा 8 के अंतर्गत गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए सोसाइटी द्वारा आवेदन की दशा में :

(i) एक सूची जिसमें सभी व्यक्तियों के नाम, पते और व्यवसाय दर्शाये गए हों जो उस दिन को रजिस्ट्रीकरण कराये जाने के दिन से छह दिन से अधिक का न हो सोसायटी के सदस्य थे, का सदस्यता प्रमाण;

(ii) एक सूची जिसमें व्यक्तियों का विवरण दर्शाया गया हो, जो कंपनी के प्रथम निदेशक प्रस्तावित हैं, साथ में डिन, पासपोर्ट संख्या यदि कोई हो, साथ में उसकी समाप्ति की तारीख, आवासिक पता और अन्य फर्मों या निगमित निकायों में उनका हित साथ में कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए उनकी सहमति;

(iii) एक सूची जिसमें सोसायटी के शासी निकाय के सदस्यों के नाम और पते अंतर्विष्ट हों;

(iv) सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति;

(v) आवेदक के सभी प्रतिभूत लेनदारों की लिखित सहमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र;

(vi) ऐसे रजिस्ट्रीकरण हेतु सहमति के लिए साधारण बैठक में सदस्यों के बहुमत चाहे वे स्वयं उपस्थित हो या परोक्षी द्वारा लिखित सहमति और संकल्प में गारंटी की राशि की घोषणा भी दी जाएगी;

(vii) ऐसा परिवचन कि सभी प्रस्तावित निदेशक भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की यथा लागू अपेक्षाओं का अनुपालना करेंगे;

(viii) सोसायटी की नवीनतम आयकर विवरणी की प्रति;

(ix) कंपनी के उद्देश्य का विवरण के साथ में सभी सदस्यों की घोषणा कि धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में यथा वर्णित सभी निबंधनों और प्रतिषेधों का पालन किया जाएगा;

(घ) धारा 8 के अधीन गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में न्यास द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की दशा में,-

(i) एक सूची जिसमें सभी व्यक्तियों के नाम, पते और व्यवसाय दर्शाये गए हों जो उस दिन को, जो रजिस्ट्रीकरण कराये जाने के दिन से छह दिन से अधिक का न हो न्यास के न्यासी थे, का सदस्यता प्रमाण;

(ii) एक सूची, जिसमें ऐसे व्यक्तियों का विवरण दर्शाया गया हो, जो कंपनी के प्रथम निदेशक प्रस्तावित हैं, साथ में डिन, पासपोर्ट संख्या यदि कोई हो, साथ में उसकी समाप्ति की तारीख, आवासिक पता और अन्य फर्मों या निगमित निकायों में उनका हित साथ में कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए उनकी सहमति;

(iii) न्यास के रजिस्ट्रीकरण और न्यास विलेख की प्रमाणित प्रति;

(iv) आवेदक से सभी प्रतिभूत लेनदारों की लिखित सहमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र;

(v) ऐसे रजिस्ट्रीकरण की सहमति के लिए साधारण बैठक में सदस्यों के बहुमत, चाहे वे स्वयं उपस्थित हो या परोक्षी द्वारा, से लिखित सहमति और संकल्प में गारंटी की राशि की घोषणा भी दी जाएगी;

(vi) एक परिवचन कि सभी प्रस्तावित निदेशक भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की यथा लागू अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे;

(vii) न्यास के नवीनतम आयकर विवरणी की प्रति;

(viii) कंपनी के उद्देश्य का विवरण के साथ सभी सद्स्यों की घोषणा की धारा 8 की उपधारा (1) में खंड (ख) से खंड (ग) तक वर्णित सभी प्रतिबंधों और प्रतिषेधों का अनुपालन किया जाएगा।

(3) जहां आवेदन सोसायटी या न्यास द्वारा गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु किया जाता है और रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया गया है कि प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसार हैं और वह उस उपधारा के खंड (ख) और खंड (ग) में क्रमशः यथा वर्णित निबंधनों और प्रतिषेधों की अनुपालना करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रार प्ररूप संख्या आईएनसी 16 में अनुज्ञप्ति, यथास्थिति, ऐसी सोसायटी या न्यास को न्यायस्थिति, लिमिटेड कंपनी के रूप में इसके नाम के साथ शब्द लिमिटेड लगाए बिना या प्राइवेट लिमिटेड लगाने के लिए अनुज्ञात करेगा और तदुपरि नियम 4 के उप नियम (4) के निबंधनानुसार किसी कंपनी के निगमन के लिए अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन आवेदन पर निगमन प्रमाण पत्र जारी करेगा,

परंतु और यह कि सोसायटी जिसने कानूनी रूप से अपेक्षित रजिस्ट्रार सोसायटी के पास फाइल की जाने वाली वार्षिक या अन्य विवरणियां फाइल नहीं की हैं, अधिनियम की धारा 366 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का पात्र नहीं होगा।

(4) सभी सदस्यों या भागीदारों या न्यासियों से एक दिया गया ऐसा परिवचन कि अधिनियम के अध्याय-21 के भाग 1 के अधीन कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण की दशा में इसके विघटन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों को ऐसे रजिस्ट्रीकरण या अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा जिनके साथ कंपनी रजिस्ट्रीकृत थी।

परंतु उस दशा में ऐसा परिवचनपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा यदि अधिनियम के अध्याय-21 के भाग 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का आवेदन सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा सीमित भागीदारी अधिनियम, 2008 (2008 का 6) द्वारा किया गया है।

(5) सदस्यों और निदेशकों की सूची और कंपनी से संबंधित ऐसे अन्य विवरण जो रजिस्ट्रार को सौंपने अपेक्षित हैं, किन्हीं दो या अधिक प्रस्तावित निदेशकों की घोषणा द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित किए जाएंगे।"।

4. (i) उक्त नियमों के नियम 4 में, -

(क) उपनियम (1) में, *"सीमित दायित्व भागीदारी या फर्म, जैसा भी मामला हो"* शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति सीमित दायित्व भागीदारी, फर्म, सोसायटी या न्यास" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (2) में, "रजिस्ट्रार (एलएलपी)" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों के स्थान पर "यथास्थिति रजिस्ट्रार (एलएलपी), फर्म के रजिस्ट्रार, सोसायटी का रजिस्ट्रार या न्यास का रजिस्ट्रार" शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों में, नियम 5 में,-

(क) खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् -

"(i) जहां फर्म, सोसायटी या न्यास ने अधिनियम की धारा 367 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है वहां ऐसे रजिस्ट्रीकरण के पंद्रह दिन के भीतर, यथास्थिति, ऐसे फर्म के रजिस्ट्रार, सोसायटी के रजिस्ट्रार या न्यास के रजिस्ट्रार को, जिसके अधीन यह मूल रूप से रजिस्ट्रीकृत है, यथास्थिति फर्म, सोसायटी या न्यास, के रूप में इसके विघटन हेतु दस्तावेजों के साथ इस प्रभाव की सूचना दी जाएगी;

(ख) उपखंड (iii) में, "फर्म के रजिस्ट्रार" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "यथास्थिति, फर्म के रजिस्ट्रार, सोसायटी का रजिस्ट्रार या न्यास के रजिस्ट्रार" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (v) में, "सीमित दायित्व भागीदारी या फर्म" शब्दों के लिए "सीमित दायित्व भागीदारी, फर्म, सोसायटी या न्यास" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) खंड (v) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् -

"(vi) यदि अधिनियम की धारा 366 के अधीन कंपनी के रूप में रजिस्टर होने की आशयित कोई सोसायटी या न्यास आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12क के अधीन अपनी आय पर छूट का दावा करने हेतु रजिस्ट्रीकृत है तो, इस संबंध में एक सूचना आयकर प्राधिकारियों को भेजी जाएगी और प्ररूप संख्या यूआरसी-1 के साथ उसकी तामीली का सबूत संलग्न किया जाएगा;

(vii) अधिनियम के अधीन किसी सोसायटी या न्यास का कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण पर, किसी प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तन या इसके विपरीत दशा को छोड़कर, किसी भी प्रकार की अन्य कंपनी में परिवर्तन के लिए अधिनियम के अधीन ऐसे निगमन की तारीख से दस वर्ष की अवधि समाप्त होने तक कोई आवेदन नहीं किया जाएगा।

(viii) किसी न्यास द्वारा कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 92 के अधीन किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान कोई आवेदन नहीं किया जाएगा।"

6. उक्त नियमों में, प्ररूप संख्या यूआरसी-1 और यूआरसी-2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् -

प्ररुप संख्या यूआरसी-1 **[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 के साथ पठित कंपनी (रजिस्टर के लिए प्राधिकृत) नियम 2014 के नियम 3(2) के अनुसरण में]**	सत्यमेव जयते	**धारा 366 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए कंपनी द्वारा आवेदन**

प्ररुप की भाषा: 0 अंग्रेजी 0 हिन्दी

प्ररुप भरने के लिए अनुदेश देखें।

1. (क) ***आरयूएन** का एस.आर.एन. ______________________________ (पूर्व पूरित)

(ख) कंपनी का प्रकार ______

2. (क) *असितत्व का प्रकार ______

(ख) एलएलपीआईएन/रजिस्ट्रीकरण संख्या ______ (पूर्व पूरित)

(ग) *विद्‌यमान अस्तित्व का नाम ______

(घ) *विद्‌यमान असितत्व का पता ______

(ड.) विद्‌यमान अस्तित्व का ई-मेल ______

(च) अस्तित्व के सदस्यों की संख्या ______ आवेदन की तारीख

(छ) प्रस्तावित कंपनी का नाम ______

3. (क) प्रस्तावित कंपनी का प्रवर्ग ______

*(ख) क्या कंपनी के सदस्यों के दायित्व, कंपनी अधिनियम से भिन्न संसद के अन्य अधिनियम द्‌वारा सीमित है 0 हां 0 नहीं

4. (क) *असितत्व के गठन की लिखत की तारीख ______
(दिन/मास/वर्ष)

(ख) *लिखत का वर्णन ______.......

5. (क) अब तक लिए गए शेयरों की संख्या

साम्या ______
अधिमान ______

(ख) प्रत्येक शेयर संदत्त रकम
साम्या ______
अधिमान ______

6. (क) प्रत्याभूति की रकम घोषित करने के लिए संकल्प परित करने की तारीख ______

(ख) प्रत्येक सदस्य द्‌वारा ली गई प्रत्याभूति का विवरण ______

7. *सीमित दायित्व के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए सम्मति देते हुए संकल्प पारित करने वाली साधारण अधिवेशन की तारीख ______ (दिन/मास/वर्ष)

8. *विशेष संकल्प पारित करने का विवरण तथा साधारण बैठक का स्थान

____

9. *संपत्ति (अनुयोज्य दावों सहित जंगम अथवा स्थावर) की कुल रकम

____

10. *क्या असितत्व अथवा उसके किसी लोक अधिकारी अथवा सदस्य द्वारा अथवा उसके विरूद्ध कोई वाद अथवा विधिक कार्रवाई लंबित है O हां O नहीं

यदि हां, तो संक्षिप्त ब्यौरे दें

____

11.(i) *क्या असितत्व का आवेदन की तारीख को कोई प्रतिभूत ऋण बकाया है O हां O नहीं

(ii) *कुल बकाया रकम का उल्लेख करें ______________________________

संलग्नक

1. *सदस्यों/भागीदारों के ब्यौरे और उनके द्वारा धारित शेयरों का वर्णन **(संलग्न करें)**
2. *दो अथवा अधिक निदेशकों की घोषणा जिसमें सभी सदस्यों/भागीदारों की वशिष्टियां सत्यापित किए गए हो; **(संलग्न करें)**
3. *असितत्व के विघटन के लिए सभी सदस्यों/भागीदारों से प्राप्त शपथपत्र; **(संलग्न करें)**
4. * असितत्व का गठन अथवा विनियमन करने वाली लिखत की प्रतिलिपि; **(संलग्न करें)**
5. असितत्व के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति; **(संलग्न करें)**
6. *समाचार पत्र के विज्ञापन की प्रति; **(संलग्न करें)**
7. * स्टाम्प अधिनियम, जहां तक लागू हो, के सभी उपबंधो का अनुपालन प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट/ कंपनी सचिव/ कंपनी लागत लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र; **(संलग्न करें)**
8. बहुमत के सदस्यों की सम्मति; **(संलग्न करें)**
9. इस भाग के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए सहमत कम से कम तीन चौथाई सदस्यों की सम्मति; **(संलग्न करें)**

संलग्नकों की सूची

संलग्नक हटाएं

10. संबंधित फर्मों के रजिस्ट्रार अथवा कंपनी रजिस्ट्रार (एलएलपी) से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र; **(संलग्न करें)**

11. प्रतिभूत लेनदारों द्वारा दिया गया अनापत्ति प्रमाणपत्र/सम्मति **(संलग्न करें)**

12. विद्यमान अस्तित्व के लेखाओं का कथन, जो आवेदन की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले तैयार किया गया हो और लेखापरीक्षक द्वारा यदि लागू हो, सम्यक रूप से प्रमाणित हो; **(संलग्न करें)**

13. प्रत्याभूति की रकम घोषित करने वाले संकल्प की प्रति; **(संलग्न करें)**

14. *भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु शपथ पत्र **(संलग्न करें)**

15. *फर्म की अद्यतन आयकर विवरणी की प्रति **(संलग्न करें)**

16. सभी सदस्यों द्वारा अधिनियम की धारा 8(1)(ख) और 8(1)(ग) के संबंध में अनुपालना और कंपनी के विस्तृत उद्देश्य की घोषणा **(संलग्न करें)**

17. *वैकल्पिक संलग्नक (यदि कोई हों) ;* ***(संलग्न करें)***

घोषणा

मैं______________________________________ अनुच्छेदों में नामित व्यक्ति घोषणा करता हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का इस प्ररुप की विषय वस्तु और उसमें उसके आनुषंगिक विषयों के संबंध में अनुपालन किया गया है। मुझे संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य संप्रवर्तकों द्वारा तथा प्रथम निदेशकों द्वारा इस घोषणापत्र को देने तथा इस प्ररुप पर हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। यह भी घोषणा व सत्यापन किया जाता है कि

1. इस प्ररुप में जो भी कथित है और इसके संलग्नकों में दी गई सूचना सत्य, सही तथा पूर्ण है और इस प्ररुप की विषयवस्तु की किसी सूचना को छिपाया या रद्द नहीं किया है और संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद पर हस्ताक्षर करने वाले संप्रवर्तकों द्वारा रखे जा रहे मूल अभिलेखों के अनुसार है।

2. सभी अपेक्षित संलग्नक पूर्ण हैं और इस प्ररुप के साथ संलग्न हैं।

*अंकीय हस्ताक्षर के लिए

*पदनाम ________________ (डीएससी बॉक्स)

*निदेशक का डिन; प्रबंधक का डिन अथवा पैन; अथवा कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या ________________

वृत्तिक व्यावसायिक का प्रमाण पत्र

मैं यह घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप को प्रमाणित करने के प्रयोजन हेतु सम्यक रूप से नियुक्त किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्ररूप के सुसंगत कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अध्ययन किया है और मैंने उपर्युक्त विवरणों (संलग्नकों सहित) का कंपनी/आवेदक द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों से सत्यापन कर लिया है जो इस प्ररूप की विषयवस्तु है और उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है और इस प्ररूप में कोई सूचना छुपाई नहीं गई है।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि -

i. उक्त अभिलेख समुचित रूप से तैयार किए गए हैं, कंपनी के अपेक्षित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार रखे गए हैं एवं सही पाए गए थे।
ii. इस प्ररूप के साथ सभी अपेक्षित संलग्नक पूर्णतः और स्पष्ट रूप से संलग्न किए गए हैं।

***अंकीय हस्ताक्षर के लिए** **डीएससी बॉक्स**

0 चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसायरत) या 0 लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायरत)
0 कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसायरत)

*क्या सहयुक्त हैं या अध्येता 0 सहयुक्त 0 अध्येता

*सदस्यता संख्या ________________ *व्यवसाय प्रमाण पत्र संख्या ________________

टिप्पणः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के उपबंधों जिनमें क्रमशः मिथ्या कथन/प्रमाणपत्र के लिए दंड और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध है, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

उपांतरित करें **प्ररूप चैक करें** **पूर्व संवीक्षा** **प्रस्तुत करें**

कार्यालय उपयोग के लिएः दाखिल विवरण लगाएं

ई-प्ररुप सेवा अनुरोध संख्या(एसआरएन) _______________ ई प्ररुप दाखिल करने की तारीख _______________ (दिन/मास/वर्ष

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का अंकीय हस्ताक्षर

यह ई-प्ररुप रजिस्ट्रीकृत किया गया है _______________ प्रस्तुत करने की पुष्टि करें

हस्ताक्षर की तारीख _______________ (दिन/मास/वर्ष)

"प्ररूप संख्या यूआरसी-2"

अधिनियम के अध्याय-21 के भाग-I के अधीन रजिस्ट्रीकरण के बारे में सूचना देने का विज्ञापन [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और कंपनी (रजिस्टर करने के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में]

1. यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उपधारा (2) के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय-21 के भाग 1 के अधीन इसके पंद्रह दिन के पश्चात् किंतु 30 दिन समाप्त होने से पूर्व रजिस्ट्रार को ऐसा एक आवेदन करना प्रस्तावित है कि .... भागीदारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी/सहकारी सोसायटी/सोसायटी/न्यास/व्यवसाय संस्था (जो लागू न हो, उसे काट दें) को शेयरों द्वारा सीमित किसी कंपनी के रूप में गारंटी द्वारा सीमित किसी कंपनी या किसी असीमित कंपनी (जो लागू न हो, उसे काट दें) के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।

2. कंपनी के मूल उद्देश्य निम्नानुसार हैं -

....

....

3. प्रस्तावित कंपनी का ज्ञापन और प्ररूप संगम अनुच्छेद की एक प्रति की जांच .... (यहां पता लिखें) कार्यालय में की जा सकेगी।

4. यह सूचना दी जाती है कि इस आवेदन पर आक्षेप करने वाला कोई भी व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख के इक्कीस दिन भीतर अपने आक्षेप रजिस्ट्रार को लिखित में केंद्रीय रजिस्ट्रीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कंपनी कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लाट संख्या 6, 7, 8, सैक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला-गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड-122050 को लिखत में भेज सकेगा जिसकी एक प्रति कंपनी को उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर भी भेजी जाए।

तारीख ....मास .... वर्ष..................

आवेदक (आवेदकों) का नाम

1. ....

2. ...."।

[फा.सं.01/04/2016 सी.एल. V]

के.वी.आर.मूर्ति 05/2/18

(के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2014 के अधिसूचना संख्या सा.का.नि.257(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया -

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1	सा.का.नि.563(अ)	31 मई, 2016
2	सा.का.नि.173(अ)	16 फरवरी, 2018